संख्या-20/2018/ 883/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 टी0सी0

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिनांक 10 जुलाई 2018

विषय –ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) की वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रू0 1142.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-327/नि0शा0, दिनांक 11 जून,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा संचालित ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) की वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित बजट रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में रू0 1142.84 लाख (रू0 ग्यारह करोड बयालीस लाख चौरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित केन्द्र पोषित ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 1203113/ 37/ 2017 एफवाई दिनांक 26 मार्च, 2018, जिसका शुद्धि पत्र संख्या-जे0- 1203113/ 37/ 2017 एफवाई दिनांक 11 जून, 2018 निर्गत किया गया है, द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल रू0 7665.67 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें केन्द्रांश रू0 2279.86 लाख राज्यांश रू0 1388.04 लाख एवं लाभार्थी अंश रू0 3997.77 लाख की धनराशि निहित है। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0- 1203113/ 48/ 2017– एफवाई दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 की परियोजनाओं के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख की धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।

3- अतः निदेशक मत्स्य द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुक्रम में वर्ष 2017-18 की ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना (नीली क्रान्ति) हेतु वर्ष 2018-19 में अवमुक्त द्वितीय किश्त केन्द्रांश रू01813.73 लाख के सापेक्ष प्राविधानित बजट धनराशि रू0 2000.00 लाख के अन्तर्गत प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश रू0 759.09 लाख एवं राज्यांश

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

रू0 383.75 लाख अर्थात कुल रू0 1142.84 लाख (धनराशि रू0 ग्यारह करोड बयालीस लाख चौरासी हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना/ गतिविधियों का नाम फंडिंग पैटर्न (केन्द्रांश: राज्यांश: लाभार्थी अंश)	लक्ष्य (सं0/ हे0में)	इकाई लागत	कुल परियोजना लागत	केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव				केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य मद में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 1813.73 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत होने वाली धनराशि			अभ्युक्ति
					केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	लाभार्थी अंश	केन्द्राश	राज्यांश	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	क- सोलरपावर सपोर्ट सिस्टम फार एक्वाकल्चर (सामान्य) (24 प्रति0:16 प्रति0: 60 प्रति0)	3	15.00	45.00	10.80	7.20	18.00	27.00	10.80	7.20	18.00	एनेक्जर-1
	ख- सोलरपावर सपोर्ट सिस्टम फार एक्वाकल्चर (यू0पी0एफ0डी0सी0	9	15.00	135.00	67.50	27.00	94.50	40.50	67.50	27.00	94.50	एनेक्जर-2
2	लघु फीड मिल (सामान्य) (24 प्रति0:16 प्रति0: 60 प्रति0)	6	10.00	60.00	14.40	9.60	24.00	36.00	14.40	9.60	24.00	एनेक्जर-3
3	हैचरियों की स्थापना(सामान्य) (24 प्रति0:16 प्रति0: 60 प्रति0)	29	25.00	725.00	174.0	116.0	290.00	435.00	173.32	115.55	288.87	एनेक्जर-4 डी0पी0आर0 की वास्तविक धनराशि के कारण रू0 1.13लाख की धनराशि अवशेष रहेगी।
4	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम कीस्थापना (आर0ए0एस0-	15	50.00	750.00	180.0	120.0	300.00	450.00	180.00	120.00	300.00	एनेक्जर-5

http://shasnadesh.up.nic.com

	सामान्य)(24प्रति0 :16प्रति0:60प्रति0)											
5	ब्रूड बैंक एवं पंगेशियस मत्स्य बीज हैचरी की स्थापना (यू0पी0एफ0डी0सी0	1	500.00	322.00	161.0	64.40	225.40	96.60	161.00	64.40	225.40	**एनेक्जर-6**
6	वृहद फीड मिल (यू0पी0एफ0डी0 सी0)	1	200.00	219.17	100.0	40.00	140.00	79.17	100.00	40.00	140.00	**एनेक्जर-7**
	उपयोग			2256.17	707.7	384.2	1091.90	1164.27	707.02	383.75	1090.77	
7	प्रशासकीय व्यय 3 प्रतिशत	-	-	66.40	52.07	-	52.07	-	52.07	-	52.07	निदेशालय स्तर से धनराशि आवटन की कार्यवाही की जायेगी।
	कुल योग -			2322.57	759.77	384.2	1143.97	1164.27	759.09	383.75	1142.84	

(रू0 ग्यारह करोड बयालिस लाख चौरासी हजार मात्र)

4- यू0पी0एफ0डी0सी0 (उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम) द्वारा संचालित की जाने वाली 03 परियोजनाओं का फंडिग पैटर्न समानुपात (50 प्रतिशत केन्दांश : 50 प्रतिशत राज्यांश) पर आधारित है, परन्तु यू0पी0एफ0डी0सी0 द्वारा प्रस्तावित फैडिंग पैटर्न (50 प्रतिशत केन्दांश : 20 प्रतिशत राज्यांश : 30 प्रतिशत निगम अंश) का अनुमोदन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है।अत: उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित की जाने वाली उक्त 03 परियोजनाओं हेतु प्रस्तर-3 की तालिका के क्रमांक-1(ख), 5 एवं 6 हेतु निगम को देय धनराशि निदेशक मत्स्य द्वारा अपने स्तर से नियमानुसार आहरण कर उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन:इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक24 दिसम्बर ,2016 द्वारा निर्गत मार्ग-निर्देश /गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या-2/2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/2016 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक मत्स्य का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(3) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 तथा शासनादेश संख्या- बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) स्वीकृतियॉ जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि प्राप्त नहीं हुई है ।

(11) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(12) भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113/ 48/2017–एफवाई दिनांक 29 मई,2018 में दिये गये निर्देशों/ शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक -2405- मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन -01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102- ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना(राज्यांश) 20-सहायता अनुदान –सामान्य (गैरेवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018,तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव)

संख्या- 20/2018/ 883(1)/ सत्रह-म-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय - नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।